भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1285**

01 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए सीबीडी का उपयोग

1285. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में दर्द और चिंता के उपचार में कैनबिडिओल (सीबीडी) के संभावित लाभों पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने औषधीय प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किस प्रकार किया है;

(ख) सीबीडी के उचित उपयोग और संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जनता और स्वास्थ्य देखरेख पेशेवरों को शिक्षित करने, ध्यानपूर्वक खुराक को सुनिश्चित करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या दर्द और चिंता के उपचार से परे सीबीडी के उपयोग के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है, इस संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान के संभावित क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(घ) रोजगार सृजन और राजस्व सृजन सहित देश में सीबीडी उद्योग के समग्र विकास और आर्थिक प्रभाव संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): भांग (बीजों को छोड़कर) को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची ङ-1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों सहित आयुर्वेदिक के विषाक्त पदार्थों की सूची शामिल है। इसके अतिरिक्त, कैनबिडिओल, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3 (क) और 3 (ज) (झ) तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख में यथानिर्धारित आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 161(2) के अनुसार, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची ङ (1) में उल्लिखित सामग्रियों वाली औषधियों पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में यह लेबल लगाया जाना चाहिए "चेतावनी: चिकित्सीय देखरेख में लिया जाए"। इसके अतिरिक्त, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों में आयुर्वेद औषधियों की बिक्री के लाइसेंस के प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के पत्र क्रमांक फा.सं.-25/64/2022-सीसीपीए, दिनांक 14.07.2022 द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को एक सलाह भी जारी की गई है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ङ (1) में सूचीबद्ध सामग्रियों वाली आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों की बिक्री या बिक्री की सुविधा केवल पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक के वैध नुस्खे को उपयोगकर्ता द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड किए जाने के बाद ही प्रदान की जाए।
